

बिहार सरकार,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-...../2025

संख्या-1/वि.1-11/2019...../बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-536 दिनांक 18.04.2019 में संशोधन करते हुए कार्यपालक अभियंता को विभागीय कार्यों पर प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व निर्धारित राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपये) मात्र को बढ़ा कर ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र तक की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(स्मिता कुमारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :...../

पटना, दिनांक-...../2025

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :...../

पटना, दिनांक-...../2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 691...../

पटना, दिनांक- 21/04/2025

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/कार्यपालक अभियंता/सभी उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखाशाखा/आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Smिता
21/04/25

सरकार के अवर सचिव।